उनवान : .....

मु.नं. .....

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
8-2-17	पत्रावली राजस्व लोक अदालत नियम आयोजन हेतु बैनर/हाथ पर आज पेश हुई तहसीलदार छोटीकाशी के रिपोर्ट प्राप्त। तहसीलदार छोटीकाशी द्वारा रिपोर्ट के बयान कि वादिया मनमोहन, कान्ति, राजेश, पुष्पा व दीपचन्द बहोरा पत्नी दीपचन्द द्वारा अपने पिता V/s की भूमि के लिए पुरुषोत्तम पुत्र रामकिशन, गिरीश शंकर पुत्र रामप्रकाश निवासी V/s ग्राम धाकड़ की बंटवारा हेतु वाद दायर किया था। वादिया द्वारा अपना नाम नं. 1415 दिनांक 07-2-17 को निरस्त होना चाहा। वादिया द्वारा अपना निवेदन देकर किया था कि मुझे ही कम हिस्सा मिला था भूमि का देखकर किया था मुझे धोखा बताया है। वर्तमान में डिक्री की डिक्री नहीं होना बताया है। वादिनी आरजी का किसान किया गया हमारा नहीं है। तहसीलदार छोटीकाशी के रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण इस पटल पर दोष किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर बाद नामित तकमील के दाखिल दफ्तर हो।